


राजस्थान सरकार

निदेशालय

राष्ट्रीय पोषाहार सहायता कार्यक्रम (Mid Day Meal Scheme)



मध्याह्न भोजन योजना
Mid day Meal Scheme

क्रमांक : एफ 4 (264पराज/एमडीएम/एमडीएम समीक्षात्मक बैठक/2009-10/ 973-74 दिनांक: 8.12.17

जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक,
जिला समस्त।

विषय:- मिड डे मील कार्यक्रम अन्तर्गत अनुबन्ध पर लिए गये मैन विथ मशीन को अन्य किसी योजना का कार्य नहीं करवाने बाबत।

सन्दर्भ:- विभागीय पत्रांक एफ 4(264) पराज/एमडीएम/एमडीएम समीक्षात्मक बैठक/2009-10 /732 दिनांक 29.11.2012 के संबंध में।


महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता को यह अवगत करवाया गया कि अधिकांश ब्लॉको में मिड डे मील कार्यक्रम अन्तर्गत अनुबन्ध पर लिए गये मैन विथ मशीन से मिड डे मील कार्यक्रम के अतिरिक्त अन्य योजनाओं का भी कार्य करवाया जाता है। इस कारण मिड डे मील कार्यक्रम का कार्य समय पर सम्पादित नहीं हो पा रहा है।

विभागीय समसंख्यक पत्र क्रमांक एफ 4(142) पीसी/पीआरडी/पोषापरि/ खाद्या. आव. /06/518 दिनांक 26.06.2008 एवं एफ 4(264) पराज/एमडीएम/एमडीएम समीक्षात्मक बैठक/2009-10/732 दिनांक 29.11.2012 में यह स्पष्ट निर्देशित किया हुआ है कि मिड डे मील कार्यक्रम अन्तर्गत अनुबन्ध पर ली लाने वाली किसी भी प्रकार की सेवाओं का उपयोग केवल मिड डे मील कार्यक्रम के लिए ही सुनिश्चित किया जावे।

अतः उक्त क्रम में निर्देशित किया जाता है कि मिड डे मील कार्यक्रम अन्तर्गत अनुबन्ध पर लिए गए मैन विथ मशीन से केवल मिड डे मील कार्यक्रम का ही कार्य सम्पादित करवाया जावे, जिससे कि मिड डे मील कार्यक्रम का क्रियान्वयन सुचारु रूप से सम्पादित हो सकें।

भवदीय


(वेद सिंह)
आयुक्त

प्रतिलिपि :-

1. जिला कलक्टर, जिला समस्त।
2. ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, पंचायत समिति, समस्त।



उपायुक्त
(क्रि. एवं मो.)